न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 43/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गेनाराम पुत्र अखेरामजी, जाति श्रीमाली, निवासी दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.धनाराम वल्द मकारामजी 2.फुलचन्द वल्द मकारामजी 3.छगनलाल पुत्र मकारामजी, जाति माली, निवासी दयालपुरा 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दिनांक 18.5.2018(धारा 53(2)बंटवाडा प्रकरण)

उपस्थिति :–
1.श्री जितेन्द्र चौधरी,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री बसन्तकुमार गहलोत्,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1से 3 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दयालपुरा (तहसील आहोर) के खसरा नम्बर 450रकबा 0.07 हेक्टर,451रकबा 4.35 हेक्टर,774/451 रकबा 1.02 हेक्टर,कुल रकबा 5.44 हेक्टर जो शामलाती है, बेरा भी शामलाती है, खातेदारान् द्वारा आपसी बंटवाडा करने हेतु एक दरख्वास्त तहसीलदार आहोर को देने पर तहसीलदार आहोर ने खातेदारान् के आपसी बंटवाडे के अनुसार दिनांक 18.5.2018 को बंटवाडा किया गया। अपीलांट को खसरा नम्बर 451 व 774/451 कुल रकबा 1.01 हेक्टर की खातेदारी दी गयी साथ ही खसरा नम्बर 450 गैर मुमकिन बेरा में गेनाराम वल्द ओकीया का 3/16 हिस्सा बंटवाडा में दी गई जो बतौर खातेदारी सही है, परन्तु रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को उपरोक्त आराजी में जाने का रास्ता नही दिया। वर्तमान में अपीलांट ओरण भूमि से होकर निकलता है जो राज्य सरकार की भूमि है, कभी भी मेडबन्दी हो सकती है तथा कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 52 के अनुसार खातेदारी भूमि में जाने

का रास्ता हर एक खातेदार के लिए आवश्यक है, अपीलांट गरीब ब्राह्मण है, उसने विश्वास में रहकर आपसी सहमति से बंटवाडे पर अपने हस्ताक्षर किए है,अपीलांट को फैसले की भनक दिनांक 2.7.2018 को लगी जब राजस्व अभियान खत्म होने के बाद बंटवाडा की नकल हेतु आवेदन किया,लोगो द्वारा यह मालूम पडा कि रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से बंटवाडा कर दिया है, अपीलांट ने नकल हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया, नकल दिनांक 4.7.2018को मिली,नकल मिलने व बयान की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः तहसीलदार आहोर का आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति आदि पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से दिनांक 19.8.2019को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स ने आपसी सहमति से विभाजन हेतु दिनांक 15.5.2018 को तहसीलदार आहोर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया था ,जिस पर अपीलांट ने अपने पुत्र महिपाल के साथ स्वतंत्र ईच्छा से सहमति से हस्ताक्षर किये थे,जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात् तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 18.5.2018 को विभाजन का आदेश पारित किया था,जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 18.5.2018से ही है जबकि अपीलांट द्वारा उक्त अपील दिनांक 16.7.2018को म्याद गुजरने के पश्चात् म्याद बाहर पेश किये जाने से अपीलांट की अपील निरस्त योग्य है, अपीलांट ने इस प्रार्थनापत्र में मनगढन्त तथ्यों के साथ अपील को म्याद में लाने के लिए उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 2.8.2017को होना बताया है जबकि अपीलांट स्वयं ने आपसी सहमति से विभाजन प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा पूर्ण सहमत होने से ही उक्त विभाजन आदेश पारित हुआ है, अतः उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।अतः अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करावे।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से दिनांक 19.8.2019 को एक प्रार्थनात्र अन्तर्गत धारा 96(3)सी.पी.सी. के तहत् पेश किया कि अपीलांट ने आपसी सहमति से विभाजन हेतु आवेदन पत्र मय प्रस्ताव तहसीलदार आहोर को दिनांक 15.5.2018को अन्तर्गत धारा 53(2)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश किया था, उक्त सहमति पत्र पर अपीलांट व अपीलांट के बालिक पुत्र महिपाल ने अपनी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किये थे, जिस पर तहसीलदार आहोर ने बाद कार्यवाही दिनांक 15.5.2018 को आदेश पारित किया था,धारा 96 (3) सी.पी.सी. के तहत् आपसी सहमति से पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे जो बाद सुनवाई के रेस्पोडेन्ट सं.1 से 3 का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट सं.1से 3 के वकील ने दिनांक 25.9.19को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 सपठित धारा 151सी.पी.सी. बाबत् शपथपत्र,दस्तावेज एवं छायाचित्र को अभिलेख पर लिये जाने का पेश किया जिस पर अपीलांट वकील ने कोई आपत्ति पेश नहीं की हैं।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि आपसी सहमति से बंटवाडा में अपीलांट को उसके हिस्से की खातेदारी में जाने का कोई रास्ता नही दिया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार आवश्यक है,अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के वकील ने बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 15.5.18 को तहसीलदार आहोर के समक्ष आपसी सहमति से विभाजन हेतु आवेदन पत्र ,अपीलांट ने अपने व्यस्क पुत्र महिपाल के साथ उपस्थित होकर ,अपनी स्वतंत्र ईच्छा व सहमति से हस्ताक्षर कर, तहसीलदार आहोर को प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 18.5.18 को अपीलाधीन आदेश पारित किया, इस प्रकार अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 18.5.18से ही है, अपीलांट ने अपील को म्याद में लाने के लिए धारा 5 मर्यादा अधिनियम के तहत् जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है उसमें उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 2.7.18 को होना मात्र अपील को मयाद में लाने के लिए वर्णित किया है, इस प्रकार अपील म्याद बाहर होने से निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी बताया कि अपीलांट ने इससे पूर्व भी प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प उण में दिनांक 16.12.10को आपसी सहमति से विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर,दिनांक 16.12.2010को आपसी सहमति से इसी आराजी बाबत् विभाजन आदेश पारित किया गया है,विभाजन आदेश दिनांक 16.12.10 के विरूद्ध एक अपील सं. 63/14 प्रस्तुत की थी जिसमें रेस्पोडेन्ट ने राजीनामा करते हुए विभाजन आदेश दिनांक 16.12.10को निरस्त करवा दिया था,इसी प्रकार यह अपील, अपीलाधीन बंटवाडा आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है,अपीलांट मात्र रेस्पोडेन्ट से पैसे ऐठने के लिए आपसी सहमति से बंटवाडा करवाता है तथा बंटवाडा होने के पश्चात् उसके विरूद्ध बार बार अपील करता है,आपसी सहमति से बंटवाडे में अपीलांट के हिस्से में आई आराजी पर रेस्पोडेन्ट के बने टीन शेड युक्त बडे हॉल ध्वस्त करने से रेस्पोडेन्ट को नुकशान हुआ है, अतः अपीलांट की अपील निरस्त करावे।

6. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27

अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है तथा उन परिस्थिति में यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य को स्वीकार करने से इन्कार करने पर या समुचित प्रयास के प्राप्त नही किये जाने योग्य या पक्षकारों की जानकारी में न होने वाले साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपीलीय न्यायालय को अनुमति देता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील सं. 63/2014, दिनांक 2.12.2014 का निर्णय दोनो पक्षकारों की जानकारी में था तथा उक्त निर्णय तथा संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.12.2014 को ही प्राप्त की जा चुकी थी, उन्हें दिनांक 25.9.2019 को प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा है,समझ से परे हैं। निर्माण तथा कदीमी रास्ते के छाया चित्र अधिनस्थ न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये ,इसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता हैं।

अपीलांट का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर देरी को कण्डोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में धारा53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केतहत् विभाजन पत्र अधिनस्थ न्यायालय को दिनांक 15.5.2018 को प्रस्तुत किया है जिसे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा पत्र क्रमांक : भू.अ. /18/1852 दिनांक 15.5.2018 से भू अभिलेख निरीक्षक गुडाबालोतान् तथा पटवारी हल्का दयालपुरा को जांच हेतु भेजा जिसका प्रतिवेदन 16.5.18 को भिजवाया गया। अपीलांट गेनाराम द्वारा दिनांक 17.5..2018को बंटवाडे के सबंध में रास्ते को लेकर आपत्ति दर्ज करने पर निरीक्षक भू अभिलेख गुडाबालोतान् व पटवारी हल्का दयालपुरा ने 17.5.2018 को प्रतिवेदन दिया कि खातेदार फूलचंद वगैराह की बंटवाडा की भूमि पर सरकारी रास्ता, खसरा नम्बर 445 किस्म गैर मुमकिन रास्ता लगता है जबकि B भाग के खातेदार गेनाराम व A भाग के फूलचंद वगैराह खातेदार के दक्षिण की तरफ स्थित खसरा नम्बर 452, किस्म गैर मुमकिन ओरण में से होकर जाता है, यह रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है जो खसरा नम्बर 452 में से भाग B के खातेदार गेनाराम के हिस्से तक जाता हैं।

उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.5.2018 को की गयी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू अ.) आहोर ने अपने आदेश दिनांक 18.5.2018 में न तो अपीलांट के 17.5.2018 के प्रार्थनापत्र पर कोई निर्णय किया, न ही दिनांक 17.5.2018 के भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जो कि अपीलाधीन आराजी सहकाश्तकार था,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान् के तहत् प्रत्येक इंच पर उसका अधिकार था, उसे सुगम राजकीय कटान मार्ग

उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि अन्य सहखातेदारान् को राजकीय मार्ग उपलब्ध करवाया गया है। गैर मुमकिन ओरण भूमि से रास्ता घोषित करने का कोई विधिक प्रावधान इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 18.5.2018(धारा 53(2)बंटवाडा आदेश) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार आहोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि आप स्वयं मौका देखकर, पक्षकारान् को समुचित सुगम राजकीय कटान मार्ग उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 15:53:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: